न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 04/2021

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1. दलजीत कौर पत्नि सुखदीप सिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सरावां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। 2. कुलदीप कौर पत्नि मनदीप सिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 3. कर्मजीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर।	1. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 08.01.2021

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

--निर्णय-- **दिनांकः** 17/03/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10 में 5.188 हैक्टर नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 86/3 में 0.101 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, मुरब्बा नम्बर 86/8 में 0.025 हैक्टर खाला इस प्रकार कुल 5.314 हैक्टर नहरी मय खाल भूमि अप्रार्थी के नाम 0.331 हैक्टर व खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 5 में 6.325 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 18 में 5.972 हैक्टर कुल 12.297 हैक्टर में से अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के नाम 0.386 हैक्टर व खाता संख्या 112/108 हैक्टर के मुरब्बा नम्बर 3 में 4.301 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 12 में 1.822 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 21 में 6.072 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 86/5 में 0.177 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल 12.372 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के नाम 0.107 हैक्टर व खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21 में 0.253 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नम्बर 44 में 1.771 हैक्टर बारानी कुल 2.024 हैक्टर बारानी नहरी व खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 06 में 0.861 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 67 में 0.608 हैक्टर कुल 1.469 हैक्टर अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के नाम इस प्रकार पांचो खातों में कुल 3.178 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला खाला भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम भूमि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी के परिवार की पैतृक भूमि है, जो अप्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है, जिसका इन्तकाल संख्या 344, 345, 346 है तथा उक्त भूमि हिन्दू परिवार की संयुक्त पैतृक भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी का हिस्सा जन्म से है। प्रार्थीगण की माता की मृत्यु सन 2010 में हो चुकी है, प्रार्थीगण का पालन पोषण उनके दादा-दादी द्वारा किया गया है तथा उनके पास ही रहती है। प्रार्थीगण का पिता भोला-भाला व्यक्ति है, जो शराब के नशे का आदी है, जिसे अच्छे बुरे का कोई पता नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उनके दादा द्वारा ही काश्त की जाकर अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण किया जा रहा है। अप्रार्थी शराब के नशे का आदी होने के कारण कभी-कभी घर पर भी नहीं आता और नशे के लिए रोज रूपयों की मांग करता है और परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:31:48 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

में क्लेश रखता है तथा धमकी देता है कि अगर रूपये नहीं दोगें तो मैं उक्त भूमि को बेच दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। प्रार्थीगण बडी मुश्किल से उक्त भूमि से अपना गुजारा चला रहे है। अगर अप्रार्थी द्वारा भूमि का बेचान किसी अन्य व्यक्ति को कर दी तो प्रार्थीगण का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10 में 5.188 हैक्टर नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 86/3 में 0.101 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, मुरब्बा नम्बर 86/8 में 0.025 हैक्टर खाला इस प्रकार कुल 5.314 हैक्टर नहरी मय खाल भूमि अप्रार्थी के नाम 0.331 हैक्टर व खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 5 में 6.325 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 18 में 5.972 हैक्टर कुल 12.297 हैक्टर में से अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के नाम 0.386 हैक्टर व खाता संख्या 112/108 हैक्टर के मुरब्बा नम्बर 3 में 4.301 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 12 में 1.822 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 21 में 6.072 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 86/5 में 0.177 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल 12.372 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के नाम 0.107 हैक्टर व खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21 में 0.253 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नम्बर 44 में 1.771 हैक्टर बारानी कुल 2.024 हैक्टर बारानी नहरी व खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 06 में 0.861 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 67 में 0.608 हैक्टर कुल 1.469 हैक्टर अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के नाम इस प्रकार पांचो खातों में कुल 3.178 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला भूमि को रहन, बैय, वसीयत करने से एंव अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने से बाज एंव ममनू रहे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 चक 63 एफ के खाता संख्या 135/129, खाता संख्या 133/128, खाता संख्या 112/108, खाता संख्या 91/90 ,खाता संख्या 92/91, इन्तकाल संख्या 344, 345, 346 दिनांक 17.03.2008 का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

1.प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया [illegible] तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से [illegible] विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को [illegible] है। हमने जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 135/129, 133/128, 112/108, 91/90, 92/91 में राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज भूमि, नामान्तरण अप्रमाणित प्रति [illegible] 344, 345, 346 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह को उसके पिता से प्राप्त हुई है। लिहाजा वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला भली भांति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:31:48 IST
Reason: SelfAttested

17/03/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकतम असुविधा होगी। चूंकि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष साबित होता है।

3.अपूरणीय क्षतिः- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुए है। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादीगण/प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10, 86/3, 86/8 व इसी चक के खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 05, 18 तथा इसी चक के खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3, 12, 21, 86/5 व इसी चक के खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21, 44 व इसी चक के खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 6, 67 की कुल 33.476 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कुल 3.178 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

17/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 17/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

17/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर